कार्यालय अंचल अधिकारी, तोरपा।

वाद अभिलेख सं० 22/17-18 (अन्तर्गत धारा 4(h) BLR Act. 1950)

आदेश पत्रक सं० .... से .... तक

वाद का प्रकार :– बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत जाँच एवं कार्रवाई

आदेश का क्रमांक तिथि	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर कार्रवाई। आदेश
30/12/17	झारखण्ड सरकार के ज्ञापांक 2074/रा0 दिनांक 13.05.2016 सहपठित श्री अनुज मुखर्जी निदेशक, भू0–अर्जन–विशेष सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का पत्र सं0–3–खा0म0निति–119/85/2308/रा0 दिनांक 09.12.1998 में निहित निदेश के अनुपालन में गैरमजरुआ खास भूमि में कायम की गई जमाबंदियों जाँच प्रारम्भ की गई। जाँच के क्रम में हल्का राजस्व कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा प्रतिवेदित किया कि मौजा डोड़मा थाना तोरपा खाता सं0 221 प्लॉट सं0 — रकबा 2.24 एकड़ की भूमि जो गैरमजरुआ खास अनाबद बिहार (झारखण्ड) सरकार की खाते की सरकारी भूमि जिसकी जमाबंदी उस मौजा के पंजी II के जिल्द सं0 .... पृष्ठ सं0 .... पर जमाबंदी रैयत कपिल नाथ बड़ा .... पिता/पति का नाम .... से कायम है। यह जमाबंदी संदिग्ध है। हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उपर्युक्त जमाबंदी बिना सक्षम प्राधिकार के आदेश के/अवैध बन्दोबस्ती के आधार पर/अवैध सादाहुकुनामा कायम की गयी है। जिसका उद्देश्य निजी लाभ एवं राज्य को क्षति कारित करना है। प्रथम दृष्टय उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त विवरणी की जमीन की सृजित जमाबंदी अवैध जिसका बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत् जाँच किया जाना वांछनीय प्रतीत होता है। अतएव संबंधित जमाबंदी रैयत को नोटिस निर्गत कर उपर्युक्त भू0–खण्ड से संबंधित मूल दस्तावेज/ निर्गत लगान रसीद की मांग करे तथा उनको कारण–पृच्छा करे कि क्यों नहीं उक्त जमाबंदी को अवैध मानते हेतु इसे बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 4(h) के तहत् सक्षम प्राधिकार को रद्ध करने हेतु अनुशंसित किया जाय। अभिलेख दिनांक 15.1.18 को उपस्थापित करें। लेखापित एवं संशोधित 30/12/17 अंचल अधिकारी तोरपा	

Scanned by TapScanner

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर गई कार्रवाई टिप्पणी आदेश

अभिलेख उपस्थापित,

राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक से प्राप्त प्रतिवेदन एवं वर्त्तमान पंजी से पूर्व की जमाबंदी पंजी/ हल्का में उपलब्ध कन्टीन्यूअस खतियान/वादी के वंशज द्वारा उपलब्ध कराये गये बदोबस्ती पट्टा का अवलोकन करने के उपरांत यह स्पष्ट होता है कि मौजा डोड़मा के पंजी II में के वॉल्युम सं0 II के पृष्ट सं0 118 में कपिल नाथ कर के नाम से कायम जमाबंदी सक्षम प्राधिकार के आदेश के आलोक में संधारित है।

अतः राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक से प्राप्त अनुशंसा एवं उपलब्ध राजस्व दस्तावेजों के आलोक में मौजा डोड़मा के पंजी II के भाग सं0 II पृष्ट सं0 118 में कपिल नाथ कर के नाम से कायम जमाबंदी के विरूद्ध भूमि सुधार अधिनियम की धारा 4 H के तहत प्रारंभ की गई कार्रवाई तत्काल प्रभाव से बंद की जाती है। भविष्य में विभागीय नियमों/उच्चत्तर न्यायालय के आदेश आदि के आलोक में पुनः कार्रवाई प्रांरभ की जा सकेगी।

14/11/20

अंचल अधिकारी
तोरपा

Scanned by TapScanner

सेवा में,
अंचल अधिकारी, तोरपा।
विषय: वाद सं० 287/16-17 के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि रैयत कपिलनाथ कर पिता- खगेश्वर कर के नाम से मौजा- डोड़मा के खाता सं०- 221, V-2, पृष्ठ-118 प्लॉट सं० 2834, कुल रकबा 4.48, मध्ये रकबा- 2.24 एकड़ की जमाबंदी कायम हो। बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4 (H) के तहत कार्रवाई की गई। वादी कपिलनाथ कर के वंशज द्वारा कायम जमाबंदी के रूप में निम्नांकित दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(1) शुद्धि पत्र (अंचल अधिकारी, तोरपा द्वारा दा० खारिज)
(2) लगान रसीद वर्ष 1990-91, 2019-20 की छाया प्रति।

हलका में उपलब्ध राजस्व दस्तावेजों की जाँच की गई। जाँच में निम्नांकित तथ्य सामने आई।

(1) पुराना पंजी-II में वर्ष 1983-84 से लगान वसूली।
(2) पुराना पंजी-II में दा० खा० मु० सं०- 414 (II) 30/11/83 पाया गया।

अतः अंचल अधिकारी तोरपा के द्वारा निर्गत शुद्धि पत्र के आधार पर नियमितीकरण किया जा सकता है।

लाभुक को उक्त भूमि पूर्व अंचलाधिकारी द्वारा नामान्तरण द्वारा हासिल प्राप्त है।

(हस्ताक्षर) 2-5-21

(हस्ताक्षर)